प्रेस नोट
दिनांक 22.10.2024

जनपदीय साइबर सेल द्वारा साइबर फ्रॉड पीड़ितों के रू0 1,37,348.00/-(एक लाख सैतीस हजार तीन सौ अड़तालिस रूपये) कराये गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ितों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ितों ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवादः-

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में नोडल ऑफिसर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के मार्गदर्शन में जनपदीय साइबर सेल टीम द्वारा पीड़ितो की फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि 1,37,348.00/- पीड़ितो के खाते में वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदिका संजू नि0 सिविल लाइन थाना को0 नगर द्वारा 60,000/- व आवेदक अनिल कुमार वर्मा नि0 चौबेपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा द्वारा 77,348/- की फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो जाने की शिकायत पुलिस अधीक्षक गोण्डा महोदय के समक्ष की गयी थी। जिस पर महोदय द्वारा तत्काल कार्यवाही करने हेतु साइबर सेल को निर्देशित किया गया था। जनपदीय साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित कर दोनो पीड़ितों के शतप्रतिशत धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ितों द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय व जनपदीय साइबर सेल को धन्यवाद दिया गया।

महोदय द्वारा जनता को जागरूक करते हुए बताया गया कि साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 या डायल-112 पर भी शिकायत दर्ज कराएँ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 22.10.2024</u>

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा पैसो का गबन करने व दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–197/24, धारा 376,323,504,506,406 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सालिकराम पुत्र अलखी नि0 धुसवा बाजार हसनाबाद थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

थाना खोड़ारे क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना खोड़ारे में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी सालिक राम प्रार्थिनी से तीन लाख रू0 लिए थे, जिसकों मांगने पर विपक्षीगणों द्वारा प्रार्थिनी को मारा–पीटा गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। विपक्षी सालिक राम प्रार्थिनी की कई बार आबरू को लूटा गया तथा प्रार्थिनी के 12 ग्राम सोने की चैन, 8 ग्राम सोने के झाला व 7 ग्राम सोने का मंगलसूत्र लेकर चले गए। वादिनी की तहरीर पर थाना खोड़ारे में 03 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष खोड़ारे द्वारा सम्पादित की जा रही थी। आज दिनांक 22.10.2024 को थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त सालिक राम को बंनगवां गांव स्थित प्राइमरी स्कूल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सालिकराम पुत्र अलखी नि0 धुसवा बाजार हसनाबाद थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–197/24, धारा 376,323,504,506,406 भादवि थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. शशि कुमार राणा थानाध्यक्ष खोड़ारे।
02. का0 हरिओम मद्धेशिया।
03. का0 मनोज कुमार यादव।
04. म0आ0 अलका यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 22.10.2024

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–223/24, धारा 137(2),87,352,351(3) भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजाबाबू पुत्र भरतलाल उर्फ मुन्ना नि0 ग्राम हसनापुर बढया थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 21.10.2024 को थाना खोड़ारे क्षेत्र की एक महिला द्वारा थाना खोड़ारे में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी राजाबाबू द्वारा उनकी लड़की को शादी करने का झांसा देकर बहला–फुसलाकर भगा ले गया है। वादिनी की तहरीर पर थाना खोड़ारे में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 कामेश्वर राय द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 22.10.2024 को थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त राजाबाबू को चन्द्रदीप घाट के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. राजाबाबू पुत्र भरतलाल उर्फ मुन्ना नि0 ग्राम हसनापुर बढया थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–223/24, धारा 137(2),87,352,351(3) भादवि थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 कामेश्वर राय।
02. हे0का0 शिव कुमार नायक।
03. हे0का0 पंकज यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 22.10.2024

लूट/छिनैती की घटनाओं का सफल अनावरण, 04 शातिर लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से 05 अदद मोबाइल फोन, 1,000/– रू0 नगद व घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाईकिलें बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 मनकापुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–523/24 धारा 309(6),127(2) बीएनएस, मु0अ0सं0–524/24, धारा 304(2) बीएनएस से सम्बन्धित घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 04 शातिर लूटेरें–01. इरशाद अली उर्फ सोनू पुत्र अकबर अली नि0 ग्राम पीलखाना शेखपुरवा को0 मनकापुर जनपद गोण्डा, 02. देवा पुत्र गंगू नि0 ग्राम पचपुती जगतापुर कोल्हार गांव थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा, 03. रोहित यादव उर्फ धर्मराज पुत्र विजय कुमार यादव नि0 ग्राम शुक्लपुरवा मछलीगांव थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा, 04. अंकित यादव उर्फ विजय यादव पुत्र जुगनू यादव नि0 ग्राम पीलखाना थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा को मनवर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 05 अदद मोबाइल फोन, 1,000/– रू0 नगद व घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 18.10.2024 को वादी नितिन कुमार द्विवेदी पुत्र नरेन्द्र कुमार द्विवेदी ग्राम मधपुर पंडित पुरवा पोस्ट बेरीपुर रामनाथ थाना मनकापुर जनपद गोण्डा से बैरीपुर रामनाथ स्थित इंडियन आयल पेट्रोलपम्प के पास 04 अज्ञात मोटरसाईकिल सवार व्यक्तियों द्वारा उनका मोबाइल फोन व 1,000/– रूपये छीन कर भाग गए थे। वादी की तहरीर पर थाना को0 मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना उ0नि0 सुनील कुमार पाल द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 22.10.2024 को थाना को0 मनकापुर पुलिस टीम द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रानिक/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 04 आरोपी अभियुक्तों–01. इरशाद अली उर्फ सोनू, 02. देवा, 03. रोहित यादव उर्फ धर्मराज, 04. अंकित यादव उर्फ विजय यादव को मनवर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 05 अदद मोबाइल फोन, 1,000/– रू0 नगद व घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो जनपद गोण्डा में आर्थिक लाभ कमाने हेतु लूट/छिनैती की घटनाओं को अंजाम दिया करते है। उक्त अभियुक्तगणों ने दिनांक 18.10.2024 को बैरीपुर रामनाथ स्थित पेट्रोलपम्प के पास नितिन कुमार द्विवेदी से उनका मोबाइल फोन व 1,000/– छीन लिया तथा उसी दिन कटी रेलवे क्रासिंग से गोण्डा जाने वाली सड़क मार्ग पर रमेश प्रताप सिंह पुत्र भानू प्रताप सिंह से उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में पूर्व में थाना को0 मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण–</u>

01. इरशाद अली उर्फ सोनू पुत्र अकबर अली नि0 ग्राम पीलखाना शेखपुरवा को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. देवा पुत्र गंगू नि0 ग्राम पचपुती जगतापुर कोल्हार गांव थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
03. रोहित यादव उर्फ धर्मराज पुत्र विजय कुमार यादव नि0 ग्राम शुक्लपुरवा मछलीगांव थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
04. अंकित यादव उर्फ विजय यादव पुत्र जुगनू यादव नि0 ग्राम पीलखाना थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

<u>अनावरित अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–523/24 धारा 309(6),127(2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–524/24, धारा 304(2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 01 अदद पोको मोबाइल व 1,000/– मु0अ0सं0–523/24 से सम्बन्धित
02. 01 अदद रेडमी 8ए मोबाइल मु0अ0सं0–524/24 से सम्बन्धित।
03. 03 अदद मोबाइल फोन अभियुक्तगण के।
04. घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाईकिलें।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 सुनील कुमार पाल।
02. हे0का0 सुरेश गुप्ता।
03. का0 ओमप्रताप यादव।
04. का0 दुर्गेश चौधरी।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 22.10.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत चलाये जा रहे "साथ–साथ कार्यक्रम" के तहत महिला थाना द्वारा 02 परिवारों के मध्य कराया गया सुलह समझौता–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाये जा रहे साथ–साथ कार्यक्रम (टूटते परिवार को जोडने की एक पहल) के तहत आज दिनांक 22.10.2024 को परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना जनपद गोण्डा पर थानाध्यक्ष महिला थाना की उपस्थिति में सुलह समझौता करवाया गया।

01. प्रथम पक्ष गुड़िया पत्नी सुनील निवासी ग्राम लाल पुरवा, मौजा रेरुआ थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा व द्वितीय पक्ष सुनील पुत्र रक्षा राम निवासी ग्राम लाल पुरवा मौजा रेरुआ, थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी–खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

02. प्रथम पक्ष बबली पत्नी शिवम शुक्ला निवासी ग्राम मदारपुर हीरापुर शाहपुर थाना करनैलगंज, जनपद–गोण्डा व द्वितीय पक्ष शिवम शुक्ला पुत्र कृष्ण कुमार शुक्ला निवासी सुकूलन पुरवा, थाना कौड़िया, जनपद–गोण्डा के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था। दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी–खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।